



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701(0)पंरावि/प्रशा.2/कनि. अभि./स्थाना.पद./18/पर/3855

जयपुर, दिनांक :- 31/8/18

आदेश

निम्न लिखित कनिष्ठ अभियन्ता का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सामने अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	नाम एवं पद	कहां से	कहां को
1	2	3	4
1.	श्री जगदीश	कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता एवं परियोजना प्रबन्धक, जलग्रहण एवं भू-संरक्षण (वाटरशेड), जिला परिषद, चूरु ।	पंचायत समिति, सरदारशहर (चूरु)
2.	श्रीमती मीनाक्षी	पं.स. सरदारशहर (चूरु)	पंचायत समिति, रतनगढ (चूरु)

उपरोक्त कनिष्ठ अभियन्ता वर्तमान पदस्थापन स्थान से तत्काल कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण सूचना संबंधित विकास अधिकारी के माध्यम से भिजवायेंगे । इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योग काल देय होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार जागिड)

संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त

प्रतिलिपि :-

- विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग को उनके कार्यालय आ.डी. क्रमांक 380 दिनांक 23.8.18 के संदर्भ में ।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा. वि. एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर ।

3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग ।
4. आयुक्त, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, जयपुर ।
5. जिला कलेक्टर, चूरु ।
6. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चूरु ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सरदारशहर/रतनगढ (चूरु) ।
8. ए.सी.पी. मुख्यालय को आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
9. संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता को पालनार्थ ।
10. निजी / आरक्षी पत्रावली ।



संयुक्त सचिव एवं संयुक्त आयुक्त